मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/फल-सब्जी/2023/ 3091 भोपाल, दिनांक 20/7/2023

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - _____ (समस्त)

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
_____ जिला - _____ (समस्त)

विषय :- **अधिसूचित मंडी प्रांगण/ अधिसूचित उप मंडी प्रांगण के बाहर फल एवं सब्जी के व्यापार के संबंध में।**

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (आगे इसे अधिनियम कहा गया है।) की धारा 6 को मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 7 सन 2012 से और संशोधित किया गया है। यह संशोधन दिनांक 27 जनवरी 2012 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 जनवरी 2012 में प्रकाशित हुआ है।

2. उक्त अधिनियम संशोधन अनुसार अधिनियम की धारा 6 के प्रथम परंतुक में नवीन खंड (ग) स्थापित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 6 के द्वितीय परंतुक के स्थान पर नवीन परंतुक प्रतिस्थापित किया गया है। अधिनियम संशोधन की प्रति परिशिष्ट 1 पर है।

3. उक्त अधिनियम संशोधन की पृष्ठभूमि यह है मंत्रिपरिषद की कृषि क्षेत्रक मामलों की समिति (कृषि कैबिनेट) आदेश आइटम क्रमांक 2 दिनांक 08 अगस्त, 2011 अनुसार लिए गए निर्णय के क्रम में उक्त संशोधन का निर्णय राज्य शासन द्वारा किया गया है। कृषि कैबिनेट का उक्त निर्णय परिशिष्ट 2 पर है।

4. यह अविवादित है कि उक्त अधिनियम संशोधन का उद्देश्य, उत्पादक कृषकों को उनकी शीघ्र नश्वर कृषि उपज "फल एवं सब्जी" के लिए अधिसूचित मंडी प्रांगण/ अधिसूचित उप मंडी प्रांगण (आगे इसे संयुक्त रूप से "मंडी प्रांगण" कहा गया है।) में ही विक्रय की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए मंडी प्रांगण अथवा उसके बाहर विक्रय किए जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उत्पादक कृषकों के द्वारा मंडी प्रांगण के बाहर फल एवं सब्जी विक्रय पर अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत नियमन नियंत्रण लागू नहीं रहेगा, यह भी स्पष्ट है। **इस संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 03.03.2012 से भी उचित कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके है।**

5. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है धारा 6 के द्वितीय परंतुक (यथासंशोधित) में राज्य शासन को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, राज्य शासनद्वारा अधिनियम की अनुसूची के शीर्ष 7 फल में सम्मिलित अधिसूचित कृषि उपज "केला" पर अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान अंतर्गत छूट प्रत्याहृत की जा चुकी है। अतः केले का मंडी प्रांगण के बाहर व्यापार प्रतिबंधित है।

6. **ध्यातव्य है कि उक्त अधिनियम संशोधन एवं केले पर छूट को प्रत्याहृत करने के संबंध में तत्समय मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार प्रतिबंधित था।**

7. यह संज्ञान में आया है कि कतिपय कृषि उपज मंडियों के द्वारा मंडी प्रांगण के बाहर फल एवं सब्जी के व्यापार पर मंडी फीस का उद्ग्रहण प्रारंभ कर दिया गया है। इन मंडी समितियों के द्वारा न्यायालयीन प्रकरण WP 4202/2015 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.2017 के क्रम में अपने स्तर से विधिक अधिमत प्राप्त कर मंडी प्रांगण के बाहर फल एवं सब्जी के व्यापार पर मंडी फीस का उद्ग्रहण प्रारंभ किया गया है।

8. इस संबंध में उक्त न्यायलयीन प्रकरण में पारित आदेश से अधिनियम संशोधन दिनांक 27.01.2012 के प्रावधानों तथा कार्यालयीन पत्र दिनांक 03.03.2012 के द्वारा निर्देशित कार्यवाही के प्रभावित होने के संबंध में शासकीय अधिवक्ता से अभिमत प्राप्त किया गया है। प्राप्त अभिमत अनुसार स्पष्ट हो चुका है कि उक्त न्यायालयीन निर्णय, मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज फल एवं सब्जी का व्यापार से पूर्णतः असंबंधित है। उक्त न्यायालयीन निर्णय से अधिनियम संशोधन दिनांक 27.01.2012 के प्रावधानों तथा कार्यालयीन पत्र दिनांक 03.03.2012 के द्वारा निर्देशित कार्यवाही के क्रियान्वयन में कोई प्रतिबंध नहीं है। **अतः स्पष्ट है कि मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज फल (केले को छोड़कर) एवं सब्जी का व्यापार पूर्वानुसार मंडी नियमन नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है।**

9. वर्तमान में कृषि विपणन परिदृश्य में कई परिवर्तन हो.चुके है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में फल एवं सब्जी के व्यापार के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जा रहे है -

1. उत्पादक कृषक को अपनी कृषि उपज फल (केले को छोड़कर) एवं सब्जी, मंडी प्रांगण के बाहर विक्रय कर सकने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज फल (केले को छोड़कर) एवं सब्जी का व्यापार पूर्वानुसार मंडी नियमन नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है।

2. उत्पादक कृषक स्वयं कृषि उपज का विक्रय नहीं कर सकते है इसके लिए द्वितीय पक्ष - क्रेता का विद्यमान होना अनिवार्य है। **अतः क्रेता भी मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज फल (केले को छोड़कर) एवं सब्जी का व्यापार कर सकते है, जिसपर मंडी नियमन नियंत्रण प्रभावी नहीं है।**

3. **उक्त व्यापार, चूंकि अधिनियम के अंतर्गत विनियमित नहीं है, अतः ऐसे व्यापार में विक्रेता कृषक को भुगतान जोखिम, यदि कोई हो तो, की जिम्मेदारी भी कृषि उपज मंडी समिति की नहीं है। इस संबंध में विक्रेता कृषकों को अवगत कराया जाना आवश्यक है।**

4. वर्तमान में कृषि उपज विपणन के लिए **एमपी फार्मगेट एप, e-NAM, e-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आदि वैकल्पिक विपणन चैनल** से भी कृषि उपज मंडी के नियमन नियंत्रण में व्यापार संपादित हो रहा है। ऐसा व्यापार अधिनियम/ नियम/ उपविधि के प्रावधान अनुसार है और ऐसे व्यापार में मंडी फीस उद्ग्रहण नियमानुसार किया जाना है। ऐसे व्यापार में उत्पादक कृषक को भुगतान जोखिम, यदि कोई हो तो, की जिम्मेदारी भी कृषि उपज मंडी समिति की है। **अतः उक्त विकल्पों के माध्यम से अधिसूचित मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज फल (केले को छोड़कर) एवं सब्जी का व्यापार किया जाता है तो उस पर अधिनियम के प्रावधान पूर्णतः लागू होंगे।**

   4.1. कृषि उपज मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा मंडी प्रांगण के बाहर **फल (केले को छोड़कर) एवं सब्जी** का व्यापार किए जाने की स्थिति में <u>उन्हें अवगत कराया जाएं कि मंडी प्रांगण के बाहर किए जा रहे व्यापार में, मंडी उपविधि अनुसार संपादित व्यापार के दस्तावेज (भुगतान पत्रक) जारी नहीं करें।</u> इसके उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएं। ऐसे उल्लंघनकर्ता के द्वारा कृत व्यापार में किसी भुगतान व्यतिक्रम की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर की कार्यवाही की जाएं।

   4.2. कृषि उपज मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को प्रेरित किया जाएं कि वे मंडी प्रांगण के बाहर **फल (केले को छोड़कर) एवं सब्जी का व्यापार** <u>अन्य कृषि उपजों के समान ही वैकल्पिक विपणन चैनल से करें।</u> लेकिन इसमें कोई प्रतिबंध लगाया जाना विधि अनुसार नहीं होगा।

   4.3. विक्रेता कृषकों के मध्य भी कृषि उपज मंडी समिति की विपणन सुविधाओं एवं वैकल्पिक विपणन चैनल का प्रचार प्रसार कर इनके माध्यम से उपज विक्रय करने हेतु प्रेरित किया जाएं।

संलग्न - उपरोक्तानुसार परिशिष्ट।

(गौतम सिंह)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/फल-सब्जी/2023/ 3092 भोपाल, दिनांक 20/7/2023

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल।
3. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल। विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराएं।
4. गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2012—माघ 7, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्र. 826-31-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जनवरी 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०११.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ६ का संशोधन.
४. धारा ११ का संशोधन.
५. धारा १९ का संशोधन.
६. धारा १९-ख का संशोधन.
७. धारा २१ का संशोधन.
८. धारा ३१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) अधिनियम , २०११

[दिनांक २५ जनवरी, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक २७ जनवरी, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द ''प्रसंस्करणकर्ता'' जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द ''प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता'' स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(चच) ''विनिर्माता'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो हाथ से या यांत्रिक साधनों द्वारा कृषि-उपज का विनिर्माण करता हो;

(चचच) ''विनिर्माण'' से उसके व्याकरणिक रूपभेदों तथा सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है, अपरिष्कृत कृषि-उपज या उसके उत्पाद से, हाथ से या मशीनों द्वारा, उन्हें नया रूप, गुणवत्ता, विशेषता देकर या उनके सम्मिश्रण से, उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन;'';

(तीन) खण्ड (ञ) में, शब्द ''प्रसंस्करणकर्ता'' के स्थान पर, शब्द ''प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता'' स्थापित किए जाएं;

(चार) खण्ड (त) में, शब्द ''प्रसंस्करण'' के स्थान पर, शब्द ''प्रसंस्करण या विनिर्माण'' स्थापित किए जाएं.

धारा ६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

(एक) प्रथम परंतुक में, खण्ड (ख) में, कोलन के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ग) अनुसूची के भाग सात, तथा आठ में अधिसूचित कृषि उपज जो अधिसूचित मण्डी प्रांगण के बाहर क्रय की गई हो अथवा बेची गई हो;'';

(दो) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से, ऐसे मण्डी-क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी जो कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन दी गई हो. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (ग) की बाबत् क्रय की गई अथवा बेची गई कृषि उपज के लिये भी छूट प्रत्याहृत कर सकेगी और निदेश जारी कर सकेगी, और इस प्रकार जारी किए गए निदेशों का अनुपालन किया जाना बन्धनकारी होगा.''.

४. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) में, शब्द ''प्रसंस्करण'' के स्थान पर, शब्द ''प्रसंस्करण या विनिर्माण'' स्थापित किए जाएं. धारा ११ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १९ में,— धारा १९ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (दो) में, शब्द ''प्रसंस्करण'' के स्थान पर शब्द ''प्रसंस्करण या विनिर्माण'' स्थापित किए जाएं;

(ख) परंतुक में, शब्द ''प्रसंस्करण'' के स्थान पर शब्द ''प्रसंस्करण या विनिर्माण'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, चतुर्थ परंतुक में, शब्द ''प्रसंस्करण के लिए'' के स्थान पर शब्द ''प्रसंस्करण के लिए या विनिर्माण के लिए'' स्थापित किए जाएं और शब्द ''प्रसंस्करणकर्ता'' जहां कभी भी आया हो, के स्थान पर, शब्द ''प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (४) में, प्रथम स्थान पर आने वाले शब्द ''प्रसंस्कृत'' के स्थान पर, शब्द ''प्रसंस्कृत, विनिर्मित'' स्थापित किए जाएं और द्वितीय स्थान पर आने वाले शब्द ''प्रसंस्कृत'' के स्थान पर शब्द ''प्रसंस्कृत या विनिर्मित'' स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (५) में, शब्द ''प्रसंस्करण'' के स्थान पर, शब्द ''प्रसंस्करण या विनिर्माण'' स्थापित किए जाएं;

(पांच) उपधारा (६) में, परंतुक में, शब्द ''प्रसंस्कृत'' के स्थान पर शब्द ''प्रसंस्कृत या विनिर्मित'' स्थापित किए जाएं

६. मूल अधिनियम की धारा १९-ख में, उपधारा (१) में, शब्द ''प्रसंस्करण'' के स्थान पर, शब्द ''प्रसंस्करण या विनिर्माण'' स्थापित किए जाएं. धारा १९-ख का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा(१) में, शब्द ''प्रसंस्करणकर्ता'' के स्थान पर, शब्द ''प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता'' स्थापित किए जाएं. धारा २१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, शब्द ''दबाने (प्रेसिंग)'' के स्थान पर, शब्द ''विनिर्माण'' स्थापित किए जाएं. धारा ३१ का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2012

क्र. 827-31-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (TRITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 6.
4. Amendment of Section 11.
5. Amendment of Section 19.
6. Amendment of Section 19-B.
7. Amendment of Section 21.
8. Amendment of Section 31.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (TRITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 25th January, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th January, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1),—

(i) in clause (b), for the word "processor" wherever it occurs, the words "processor, manufacturer" shall be substituted;

(ii) after clause ((f), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(ff) "manufacturer" means a person who manufactures agricultural produce by manual or mechanical means;

(fff) "manufacturing" with its grammatical variations and cognate expressions means the production of articles for use from raw agricultural produce or its product, by giving them new forms, qualities, properties or combinations, whether by hand-labour or by machinery;";

(iii) in clause (j), for the words "a processor", the words "a processor, a manufacturer" shall be substituted;

(iv) in clause (p), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted.

3. In Section 6 of the principal Act,— Amendment of Section 6.

(i) in the first proviso, in clause (b), for the colon, the semi-colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely :—

"(c) agricultural produce notified in Part VII and VIII of the Schedule which is purchased or sold outside the notified market yard :";

(ii) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein, withdraw the exemption in respect to such market area as may be specified in the notification under sub-clause (ii) of clause (a) of the preceding proviso. The State Government may also, by notification, withdraw the exemption and issue directives for the agricultural produce purchased or sold with respect to clause (c) of the preceding proviso, and the directives so issued would be bound to be complied with.".

4. In Section 11 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted. Amendment of Section 11.

5. In Section 19 of the Principal Act,— Amendment of Section 19.

(i) in sub-section (1),

(a) in clause (ii), for the word "processing" the words "processing or manufacturing" shall be substituted;

(b) in the proviso, for the word "processing" the words "processing or manufacturing" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), in the fourth proviso, for the words "for processing", the words "for processing or for manufacturing" shall be substituted and for the word "processor" wherever it occurs, the words "processor or manufacturer" shall be substituted;

(iii) in sub-section (4), for the word "processed" occurring at the first place, the words "processed, manufactured" shall be substituted and for the word "processed" occurring at the second place, the words "processed or manufactured" shall be substituted;

(iv) in sub-section (5), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted;

(v) in sub-section (6), in the proviso, for the word "processed", the words "processed or manufactured" shall be substituted.

6. In Section 19-B of the Principal Act, in sub-section (1), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted. Amendment of Section 19-B.

7. In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1), for the word "processor", the words "processor, manufacturer" shall be substituted. Amendment of Section 21.

8. In Section 31 of the Principal Act, for the word "pressing", the word "manufacturing" shall be substituted. Amendment of Section 31.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक डी–17–5/2011/14–3 भोपाल दिनांक अगस्त 2011

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Agri/976 19/8/11
Addl. (S)

विषयः– मंत्रि–परिषद् की कृषि क्षेत्रक मामलों की समिति (कृषि केबिनेट) में लिये गये निर्णयों के संबंध में ।

दिनांक 08 अगस्त 2011 को आयोजित मंत्रि–परिषद् की कृषि क्षेत्रक मामलों की समिति (कृषि केबिनेट) की बैठक में लिये गये निर्णय की छायाप्रति संलग्न है।

यद्यपि यह निर्णय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को प्रेषित है, इस पर समस्त कार्रवाई आपके द्वारा की जाना है। अतः कृपया उक्त निर्णय को क्रियान्वित किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत करावें, ताकि पालन–प्रतिवेदन भेजा जा सके।

संलग्नः– निर्णय की छायाप्रति

(आर. परशुराम)
अपर मुख्य सचिव सह
कृषि उत्पादन आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन

पृ0क्रमांक डी–17–5/2011/14–3 भोपाल दिनांक 17 अगस्त 2011

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रबंध. संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव सह
कृषि उत्पादन आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन

DD (नि)
23/8/11

Add-589
23/8/11

विषयपूर्व पृष्ठ से:-

मंत्रि-परिषद की कृषि क्षेत्रक मामलों की समिति (कृषि केबिनेट) आदेश

आयटम क्रमांक 2 दिनांक 08 अगस्त, 2011

विषयः- *मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसल उत्पाद के विक्रय कारोबार को मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की परिधि से बाहर रखने बाबत्*

निर्णय लिया गया किः-

1. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 2(1)(क) के अंतर्गत अधिसूचित फलों, सब्जियों, फूलों एवं औषधीय कृषि उत्पादों को मण्डी प्रांगण अथवा उसके बाहर विक्रय किए जाने की कृषकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
2. कृषक यदि इन उत्पादों को मण्डी प्रांगण के बाहर विक्रय करते हैं तो मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की परिधि से पूर्णतः मुक्त रखे जाने हेतु अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाए।
3. कृषक यदि इन उत्पादों को विक्रय हेतु मण्डी प्रांगण में लाते हैं तो इन उत्पादों पर मण्डी अधिनियम के प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

(अवनि वैश्य)
मुख्य सचिव,
08 अगस्त, 2011

प्रमुख सचिव,
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग